



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166122

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7679/2026**

सतेन्द्र कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कुलदीप सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0137 वर्ष 2026, बी.एन.एस., 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), थाना-सचेंडी, जनपद-पश्चिम (कमिश्नरेट कानपुर नगर), में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है:-
 - i- आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ii- आरोप यह है कि आवेदक के वाहन का उपयोग सूचनाकर्ता से संबंधित फर्जी नंबर प्लेट लगाकर किया जा रहा था। उक्त कार को जब्त कर लिया गया था तथा उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त भी कर दिया गया है।

iii- प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद सह-अभियुक्त संजीव एवं शिवेंद्र ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 9475 वर्ष 2026 में प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दी थी और इस न्यायालय ने दिनांक 15.07.2026 के आदेश द्वारा उक्त याचिका में याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

iv- यद्यपि आवेदक का धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत एक पूर्व प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, तथापि वह विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाँक्सो अधिनियम, मैनपुरी द्वारा प्रदान की गई जमानत पर है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा तर्क दिया कि आवेदक एवं सह-अभियुक्त वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे थे। उक्त फर्जी नंबर प्लेट तथा कार को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था। तथापि, वह आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं कर सके।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जिस फॉर्च्यूनर कार का उपयोग किया जाना बताया गया है, वह आवेदक की है और उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त भी कर दिया गया है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7- जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रथमदृष्टया इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु अपना प्रकरण बनाया है।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9- आवेदक-सतेन्द्र कुमार की, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
- iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

6 अगस्त, 2026

श्वेता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”